

# अपार्टमेंट के पूर्णता प्रमाणपत्र को ले रेरा सख्त

ज्य ब्यूरो, पटना : रीयल इस्टेट प्लेटफॉर्म अथॉरिटी (रेरा) बिहार ने डेवलपर को एक बार फिर बिल्डिंगों के फ्लैट खरीदारों को सचेत किया है। रेरा ने सलाह जारी कहा है कि खरीदार के रूप में फ्लैट मालिकों के लिए अपार्टमेंट की पूर्णता और अधिभोग प्रमाणपत्र (ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट) काफी अहमियत रखता है। किसी भी प्रॉपर्टी को कानूनी स्थिति सुरक्षित करता है।



फ्लैट में कब्जा लेने से पहले यह करें सुनिश्चित :

- पोजेशन लेटर
- ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट
- पार्किंग एरिया
- पलोर प्लान का पालन
- बुनियादी सुविधाएं

ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट के लिए दस्तावेज :

- प्रारंभ प्रमाणपत्र
- समापन प्रमाणपत्र
- बिल्ट पड सेवशन प्लान
- आग और प्रदूषण के लिए एनओसी
- आर्टिफिकेट द्वारा हस्ताक्षरित मंजिल की क्षेत्र गणना शीट
- इमारत की तस्वीरें।

कर भुगतान रसीद के साथ कर निर्धारण :

- वर्षा जल सव्यन और सौर पैनल की तस्वीरें
- स्वीकृत नक्शा की प्रति।

बिल्डर द्वारा दिया गया पूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र वह प्रमाणित करता है कि प्रॉपर्टी पूरी तरह वैध है। निबंधन समाप्त होने के बाद गत दिनों पुराने फ्लैट की प्रॉपर्टी में दिए हुए पर रेरा ने दो टूक कहा है कि पहली मई 2017 तक अपार्टमेंट के लिए पूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने वाले डेवलपर्स को हर हाल में रेरा में निबंधन समाप्त होगा। रेरा के अध्यक्ष अफजल मन्सूर ने इससे संबंधित में विस्तृत बयान-निर्देश जारी किए हैं।

## ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट नहीं रहने पर क्या होती परेशानी

प्रॉपर्टी के अवेच होने पर लोकल अथॉरिटी आपको हटाने का अधिकार रखती है। पुनर्विक्रय फ्लैट खरीदने को होम लोन के लिए आवेदन करते समय ओसी महत्वपूर्ण है। संपत्ति को बिना ओसी के नहीं बेच सकते हैं। ओसी नहीं होने पर पानी, सीवरेंज कनेक्शन, बिजली जैसी प्रमुख सुविधाएं काट दी जा सकती हैं।

अपार्टमेंट के पूर्णता व अधिभोग प्रमाण पत्र बिल्डर व ग्राहक दोनों के लिए फायदेमंद है। इसके बाद किसी तरह की गड़बड़ी उजागर होने पर प्रमाण पत्र जारी करने वाले नगर निकाय जिम्मेदार बनती है।

आरवी सिन्हा, सदस्य, रेरा

निर्माण स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के मुताबिक है। स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों द्वारा निर्माण पूरा होने के बाद इसे जारी किया जाता है। इसके बिना आपके भवन में अधिभोग के लिए कोई कानूनी स्वीकृति नहीं है।

सीसी और ओसी के बीच अंतर : निर्माण क्षेत्र में ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) और पूर्णता प्रमाणपत्र

(सीसी) में अंतर है। सीसी साबित करता है कि बिल्डर ने भवन निर्माण में नियमों और मानकों का उल्लंघन नहीं किया है। एफएआर सीमा, संरचनात्मक डिजाइन, निर्माण की गुणवत्ता, आसपास की इमारतों से दूरी, भवन की ऊंचाई, मॉजिलों की संख्या आदि के अनुसार इमारत का निर्माण किया है। यह दस्तावेज किसी भी अपार्टमेंट या इमारत

के लिए बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। लेकिन, अकेले सीसी कब्जे को वैध नहीं कर सकता है। आपके पास ओसी भी होना चाहिए। ओसी प्रमाणित करता है कि अपार्टमेंट में मानकों के तहत सभी आवश्यक उपकरण व सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह होने पर ही आप निर्धारित सुविधाओं के प्रति आशस्त हो सकते हैं।

स्थानीय नगरपालिका करती है जारी ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट वह कानूनी दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि